

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यवरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

सूचना

भोपाल, दिनांक:- 04/04/2022

क्रमांक 1539 /टीसी/ 62/सिहोरा(जबलपुर)/उपां/नयानि/2021 भोपाल, - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि, संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट सिहोरा विकास योजना, 2011 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

अनुसूची

क्रं	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	ग्राम सिहोरा	41/1	0.2740	कृषि	आवासीय
2	तहसील	43	1.0190	कृषि	आवासीय
3	सिहोरा	44/1/1	0.0630	कृषि	आवासीय
4	जिला	44/2/1	0.0110	कृषि	आवासीय
5	जबलपुर	44/2/2	0.1660	कृषि	आवासीय
6		45/1/1	0.0480	कृषि	आवासीय
7		45/2/1	0.1420	कृषि	आवासीय
8		45/2/2	0.0070	कृषि	आवासीय
9		46/2	0.2900	कृषि	आवासीय
10		47/2	0.0040	कृषि	आवासीय
11		48	0.0320	कृषि	आवासीय
12		49/1/1	0.0220	कृषि	आवासीय
13		49/3/1	0.0070	कृषि	आवासीय
14		49/3/2	0.0400	कृषि	आवासीय
		योग:-	रकबा 2.1250 हेक्टर		

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय जबलपुर तथा वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, जबलपुर को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियाँ या सुझाव, जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर विचार किया जाएगा।

(मुकेश चन्द्र गुप्ता)

वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल